परिशिष्ट-3

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :- एफ 9 (5) (12-1) / सा. न्या. अ. वि./08-09 / 5496 दिनांक : 01-04-2013

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशननियम, 2013

राजस्थान राज्य के विशेष योग्यजनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति एवं उसके भुगतान हेतु, महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का नाम "राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजनपेंशन नियम, 2013" है।

(ii) ये नियम दिनांक 1 अप्रेल, 2013 से लागू होंगे।

2. यह नियम "राजस्थान विशेष योग्यजनपेंशन नियम, 1965" को अतिष्ठित करते है।

पेंशन स्वीकृति के इस आदेश के जारी होने की तिथि को विचाराधीन लंबित आवेदन-पत्रों पर इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

परन्तु इन नियमो में अन्तर्विष्ट अन्य किसी बात के होते हुये भी इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों को "राजस्थान विशेष योग्यजननियम, 1965" के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की जा चुकी हैं अथवा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने की तिथि तक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।

अध्याय – 1

3. परिभाषाएँ :–

(i) "सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन से अभिप्रेत है, विशेष योग्यजनपेंशन जो इन नियमों के अधीन किसी विशेष योग्यजनको स्वीकृत की जाये।

(ii) "मूल निवासी" से अभिप्रेत है जो राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवास कर रहा हो

(iii) "आय" से अभिप्रेत है विशेष योग्यजनपेंशन प्रार्थी की स्वयं एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय, ग्रामीण क्षेत्र में रू 48,000/– तक एवं शहरी क्षेत्र में रू. 60,000/– तक हो।परिवार की परिभाषा में निम्नांकित सदस्य सम्मिलित होंगे:–

1. 18 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन के मामले में पिता एवं माता ।
2. 18 वर्ष व अधिक आयु के विशेष योग्यजन के मामले में पति/पत्नी।

(iv) "पेंशन राशि" से अभिप्रेत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है जो निम्नानुसार है :–

(1) 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रू. 250/– प्रतिमाह

(2) 8 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रू. 500/– प्रतिमाह

(3) 75 वर्ष व 75 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रू. 750/– प्रतिमाह परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राइवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

(v) "जांच अधिकारी" ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनो के लिए, संबंधित तहसीलदार/अति.तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनो के लिए, संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, जांच अधिकारी होंगे।

(vi) "स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी" ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा आवेदन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के रूप में प्रधान/उपप्रधान, संबंधित पंचायत समिति, सदस्य होंगे।

शहरी क्षेत्र के आवेदकों के आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, एवं संबंधित नगर निकाय के जनप्रतिनिधि के रूप में महापौर/उप महापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

(vii) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी:–

1. उपखण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष
2. संबंधित विकास अधिकारी – सदस्य
3. प्रधान /उप प्रधान/ संबंधित क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य – सदस्य ।

(viii) शहरी क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी:–

1. उप खण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी संबंधित नगर निकाय – सदस्य
3. महापौर/उप महापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद – सदस्य

(ix) "पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित कोष/उप कोष कार्यालय के कोषाधिकारी (पेंशन भुगतान अधिकारी)/उप कोषाधिकारी (सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी)/ अभिप्रेत है।

(x) "जिला पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है।

अध्याय – 2

विशेष योग्यजनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन

4. पात्रता :

(i) किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो,जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रहा हो,एवं –

1. जिसकी स्वयं एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 48,000/– तक एवं शहरी क्षेत्र में रुपये 60,000/– तक हो,या
2. वह किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो जिसका चयन, ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किए गए सर्वेक्षण में,गरीबी की रेखा की सीमा से नीचे के परिवार(केन्द्रीय बी.पी.एल./राज्य बी.पी.एल.) में या अन्त्योदय परिवार में किया गया है,यावह आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य है या वह सहरिया/कथौडी/खैरवा जाति का हो, पेंशन का पात्र होगा।

अध्याय – 3

विशेष योग्यजन पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं निरीक्षण की प्रक्रिया

5. आवेदन देने एवं पेंशन स्वीकार करने की प्रक्रिया

(i) ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक, जिस तहसील/उप तहसील में निवास कर रहा है उस तहसील/उप तहसील के तहसीलदार/नायब तहसीलदार या विकास अधिकारी (पंचायत समिति) को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारूप एस.एस.पी.–I में पेंशन के लिये पूर्ण रूप से भरा हुआ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित, आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त आवेदक को रसीद दी जायेगी आवेदन–पत्र निम्नांकित कार्यालयो से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे :–

- तहसील/उप तहसील/उपखण्ड कार्यालय
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
- नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम
- कोषागार/उपकोषागार
- जिला कलेक्टर कार्यालय

यदि मुद्रित आवेदन–पत्र उपलब्ध नहीं हो तो आवेदन–पत्र सादा कागज पर भी प्रस्तुत किया जा सकेगा या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in से या राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वेबसाइट www.rajssp.raj.nic.in से डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ii) विहित प्रारूप में आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी उसकी प्रविष्टि रजिस्टर एस.एस.पी.II में करने की व्यवस्था करेगा। नए आवेदन पत्र दर्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नहीं किया था और न ही उसका कोई आवेदन–पत्र अस्वीकार ही किया

गया था। अस्वीकृत आवेदन-पत्रों के लिए अलग से एक सहायक पंजिका भी संधारित की जाएगी।

(iii) उसके बाद जांच अधिकारी उक्त आवेदन पत्र की संवीक्षा करेगा और आवेदक की जन्म तिथि, आयु, अधिवास, निवास स्थान और आय या आजीविका के स्त्रोत की जांच करेगा। इन नियमों में यथा परिभाषित उसके परिवार के सदस्यों के विस्तृत ब्योरों का सत्यापन करेगा। वह जन्म तिथि/ आयु की जांच निम्नलिखित दस्तावेजों से, नीचे दिये गए अधिमान क्रम से करेगा :–

(क) स्कूल प्रमाण पत्र;

(ख) नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम, पंचायतों द्वारा संधारित जन्म रजिस्टर/जन्म प्रमाण पत्र या

(ग) लोकसभा/विधानसभा/नगर निकाय की नवीनतम मतदाता नामावली, जिसमें आवेदक का नाम हो,

या

उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र जो उसके समक्ष पेंशनर के लिखित कथन प्राप्त होने पर तथा उस पर दो गवाहों, का समर्थन प्राप्त करके और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, दिया गया हो,

(घ) ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्लॉक उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिया गया आयु प्रमाण–पत्र।

(ङ) मात्र आयु का उल्लेख होने पर जन्म तिथि निर्धारण की प्रक्रिया जिन प्रकरणों में सिर्फ आयु का उल्लेख हो ऐसे प्रत्येक पेंशनर की जन्म तिथि का निर्धारण निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा:–

(अ) पेंशनर्स की आयु अथवा जन्मतिथि का सत्यापन नियम – 5 (iii) में उल्लेखित अभिलेखों यथा– विद्यालय प्रमाणपत्र, नगर पालिका/नगर निगम/नगर परिषद्/ग्राम पंचायत में संधारित जन्म पंजिका, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, यूनिक आईडी, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये आयु प्रमाणपत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल ब्लॉक उपमुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिये गये आयु प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जा सकता है।

(ब) ऐसे आवेदक जिनकी जन्मतिथि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ऐसे प्रकरणों में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर आयु का निर्धारण किया जा सकता है। यदि एक से अधिक अभिलेख उपलब्ध हों तो इन अभिलेखो में से जिस अभिलेख में अधिक आयु दर्शाई गई हो, को आयु माना जाये एवं यह निर्धारित आयु ~~उस वर्ष की 30 जून~~ को मानी जाये। तद्नुसार उसकी जन्मतिथि उस वर्ष की 1, जुलाई को माना जाये।

(iv)जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन का परिणाम और उस मामले में विचार करने के लिए कोई अन्य विशिष्ट सूचना, आवेदन–पत्र के प्रारूप एस.एस.पी.Iके भागIIमें अभिलिखित की जायेगी।

(v)सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन–पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का उत्तरदायित्व होगा।

(vi)जॉच अधिकारी आवेदन पत्रों की जॉच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात मूल प्रारूप एस.एस.पी.Iको अपनी सिफारिशों के साथ स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) के पास स्वीकृति आदेशों के लिये ऑनलाइन भेजेगा।

(vii)स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी प्रत्येक मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् या तो प्रारूप एस.एस.पी.I के भागIIIमें पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति संबंधी आदेश, पारित करेगा एवं उसे ऑनलाइन भेजेगा। पेंशन स्वीकृत होने पर पेंशन की स्वीकृति के आदेश प्रारूप एस.एस.पी.IIIसम्बन्धित कोषाधिकारी के नाम जारी करेगा। साथ ही स्वीकृति आदेश में यह भी प्रमाणित करेगा कि स्वीकृति में दिये गये तथ्यों की भली भांति जांच कर ली गई है तथा आवेदक स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुआ/हुई, जिसका फोटो से मिलान कर लिया गया है, जो सही है। इसकी दो हार्ड कॉपी (जिन पर पेंशनर की प्रमाणित फोटो लगी हो) सम्बन्धित

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को भेजी जायेगी तथा पेंशनर व्यक्ति एवं सम्बन्धित जांच अधिकारी को इसकी एक प्रति पृष्ठांकित करेगा। पेंशन अस्वीकृत होने की स्थिति में इसकी सूचना स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा आवेदक को भी सूचित किया जायेगा। यह कार्य 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

(viii) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी दो रजिस्टर रखेगा, अर्थात् :–

(क) स्वीकार किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का रजिस्टर,

(ख) अस्वीकार किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का रजिस्टर –रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी।

(ix) पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जायेगा। पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश पर कोषालय/उपकोषालय में दर्ज होने की क्रम संख्या अंकित कर हस्ताक्षर किए जायेगें तथा प्रारूप IV में पेंशन भुगतान का आदेश जारी कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। पेंशन भुगतान की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम–2011 में वर्णित निर्धारित समय सीमा में की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

6. पेंशन स्वीकृति :–

(i) किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन पेंशन गुणावगुण के आधार पर देय होगी। जिन प्रकरणों में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी किसी आवेदन पत्र को पेंशन स्वीकृति हेतु उचित नहीं मानता है, उसमें अस्वीकृति का कारण अभिलिखित करते हुए आवेदन अस्वीकृत करना होगा तथा जिन प्रकरणों में स्वीकृत पेंशन को रोकने का निर्णय लिया जाता है, उसमें भी संबंधित व्यक्ति को कारण सहित सूचित करना होगा।

(ii) सरकार आपवादिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन विहित शर्तों को शिथिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कर सकेगी।

7. पेंशन की पात्रता :—

(i) बी.पी.एल सूची में सूचीबद्ध रहने तक, या

(ii) वार्षिक आय निर्धारित सीमा में रहने तक।

8.पेंशन का प्रारम्भ :—पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किए जाने के माह की प्रथम तारीख से संदेय होगी।

9.पेंशन की समाप्ति :—

(i)पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन की अनाहरित रकम व्यपगत हो जाएगी।

(ii)पेंशनर के राजस्थान के बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, पेंशनर के राजस्थान लौटने पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की तारीख से पेंशन का पुनः संदाय प्रारम्भ किया जा सकेगा लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की कालावधि के लिए प्रोदभूत पेंशन की बकाया संदेय नहीं होगी।

10.पेंशन की बकाया का संदाय :—

(क) यदि पेंशन की रकम एक वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है तो कोई बकाया संदेय नहीं होगा। तथापि, ऐसे मामलों में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन संदाय आदेश को नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां पेंशन की रकम एक वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है वहां नियम 9 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्राधिकारी बकाया के संदाय के आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे :—

(1) यदि पेंशन की रकम 5 मास तक आहरित नहीं की जाये।	सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी
(2) यदि पेंशन की रकम 5 मास से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाये।	सम्बन्धित जिले का कलक्टर

11. अपील अधिकारी :– स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर को की जाएगी। अपील स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की तिथि से दो माह के भीतर की जानी चाहिए। तथापि, राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कलक्टर द्वारा पारित आदेश को गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित करते हुए पुनर्विलोकित कर सकेगा।

12. वार्षिक सत्यापन :– ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ग्राम सचिवालय व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले कैम्पों में सरपंच एवं पटवारी पंचायतवार/ग्रामवार भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण पत्र सूची के रूप में तैयार कर विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। पेंशनर उसके निवास क्षेत्र के पटवारी और सरपंच द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र में रहने वाला पेंशनर उसके निवास क्षेत्र की नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम में पदस्थापित अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। परन्तु पेंशनर व्यक्ति के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, पेंशनर व्यक्ति की मृत्यु या अन्य किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संदाय के हक से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। सन्देह की स्थिति में पेंशन भुगतान अधिकारी पेंशनर को स्वयं देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेंशन संदाय आदेश में बतलाये गये पहचान चिन्हों के सन्दर्भ में अपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर एस.एस. पी.V में भौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जाएगा।

13. पेंशनर की मृत्यु की सूचना :– पेंशनर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पटवारी/ग्राम पंचायत/नगरनिकाय प्राधिकारी, अथवा पोस्ट ऑफिस/बैंक सम्बन्धित कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें पेंशनर का नाम, पता, मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना प्राप्त होने पर उप–कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पंजिका

एस.एस.पी. संख्या V में लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा कि "श्री/श्रीमती ———— पिता/पति श्री ————की तारीख ———— को मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त सूचना के आधार पर भुगतान बन्द किया गया"। उप–कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पेंशन बन्द करने के प्रत्येक मामले की सूचना कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा।

14. कलेक्टर और कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण :–

(i) जिला कोषागार का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर (जिला पेंशन एवं संवितरण अधिकारी) सामाजिक सुरक्षा पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण तथा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगा।

(ii) उप–कोषागार का निरीक्षण करते समय कोषाधिकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेगा और अपने आपका समाधान करेगा कि उसके द्वारा स्वीकृत किये गये सभी मामले उप–कोषागार के रजिस्टरों में प्रविष्ट कर दिए गए है और भुगतान नियमित रूप से व यथा समय किए जाते है। वह अपने आपका इससे भी समाधान करेगा कि उप–कोषागार के रजिस्टरों में सुधार संबंधी प्रविष्टियां जैसे पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु या उसके पते में परिवर्तन, अविलम्ब की जाती है। निरीक्षण के समय पेंशन भुगतान की नमूना जांच भी करनी होगी।

15. सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकार करने पर वर्जन (रोक) :–उन व्यक्तियों को, जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्वविवेकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्त्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो वे उन्हें पूर्ववत् प्राप्त करते रहेंगे।

अध्याय –4
सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन भुगतान की प्रक्रिया

18.(i)कोषाधिकारी और उप–कोषाधिकारी पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे।

(ii)कोषाधिकारी या उप–कोषाधिकारी द्वारा यथा स्थिति पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर द्वारा या बैंक / पोस्ट ऑफिस बचत खाते / सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जायेगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।

(iii)पेंशन, सम्बन्धित माह के समाप्त हो जाने के पश्चात् देय होगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासंभव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।

(iv)यदि पेंशनर पेंशन का भुगतान व्यक्तिगत चाहे तो किया जायेगा। अगर पेंशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जायेगा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक द्वारा निहित प्रपत्र एस.एस.पी.IX में एक बंध–पत्र निष्पादित किया जाएगा कि यह आवेदक का भरण–पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा

"मैं (नाम) ..... पुत्र ..... निवासी .....
..... जिला ..... स्वीकार करता हूँ कि
.....(नाम पेंशन पाने वाले का) को जो राज्य सरकार से पेंशन स्वीकृत
है, मैं उसका पालन पोषण करूँगा।"

दिनांक .....

हस्ताक्षर संरक्षक

परन्तु मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्ति को पेंशन का भुगतान राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (नेशनल ट्रस्ट एक्ट) के अन्तर्गत नियुक्त अभिभावक को ही देय होगा।

(v)पेंशन राशि का भुगतान कोषाधिकारी और उप–कोषाधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक करेंगे।

(vi)यदि वह निरक्षर हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरों को प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर निःशक्त के अंगूठे के निशान लगवाए जाएंगे।

(vii)पेंशन के संदाय, लेखा आदि (हिसाब–किताब) के रखे जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में अन्तर्विष्ट है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अदिति मेहता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

परिशिष्ट 'क'

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेखा संख्या का आवंटन :–

(I) ये अनुदेश, लेखा प्रकिया पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान से संबंधित है, जिनका उप खण्ड अधिकारी/कोषाधिकारी और उप–कोषाधिकारी को अनुसरण करना चाहिये।

(II) किसी पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् उप खण्ड अधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी रजिस्टर एस.एस.पी. V में पेंशनर की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा तथा राज्य एवं जिले के नाम के संक्षिप्ताक्षर के पहले मार्गदर्शी (गाइड) स्वरूप विशेष योग्यजन पेंशन लेखा संख्या लगाते हुए "एस.ए.पी." मार्गदर्शी अक्षर अंकित करते हुये उस कोष / तहसील के पेंशन भुगतान के आदेश पर उप खण्ड अधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले पी.पी.ओ. में 00 एवं उपकोषाधिकारी के लिए जारी किये जाने वाले पी.पी ओ. में 1 से 10 अथवा आगे के नम्बर (उपकोषों की संख्या के अनुसार) के आगे सतत् क्रम संख्या लगाएगा और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, पेंशनर तथा संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को विशेष योग्यजन पेंशन भुगतान आदेश की संख्या से संसूचित करेगा।

(III) विशेष योग्यजन पेंशन भुगतान आदेश प्रारूप एस.एस.पी. IV में स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिवस में जारी किया जायेगा। पेंशन भुगतान आदेश तीन प्रतियों में होगा – एक प्रति पेंशन प्राप्तकर्ता या पेंशनर को या जीवन प्रमाण–पत्र के आधार पर उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, दूसरी प्रति कोषागार या उप कोषागार के लिए होगी, जिसे भुगतान का अभिलेख रखने के लिए कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी के पास रखा जाएगा एवं तीसरी प्रति स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय के लिये होगी। पेंशनर का फोटो कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी की प्रति पर चिपकाया जाएगा।

(IV) कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन संवितरण का अभिलेख एस.एस.पी. VIII में संधारित किया जायेगा।

2. मनीआर्डर या बैंक/पोस्ट ऑफिस बचत खाते/आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली द्वारा पेंशन का भुगतान :–

(i) पेंशन का भुगतान मनीआर्डर या बैंक बचत खाते/पोस्ट ऑफिस के बचत खाते/ आधार कार्ड आधारित भुगतान अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से किया जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पेंशनों की स्वीकृति इस कार्य हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर पर ऑन लाइन जारी की जाकर, यथासम्भव भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के माध्यम से ही किया जावे।

(ii) जहां पर विशेष योग्यजन पेंशन का भुगतान मनीऑर्डर द्वारा किया जाना हो, प्रत्येक पेंशनर के लिए मनीऑर्डर फार्म अलग से भरा जाएगा, और उस पर लाल स्याही में 'राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन योजना' की रबर सील लगाई जाएगी। इसी प्रकार से मनीऑर्डर पावती कूपन पर भी लाल स्याही से 'राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन योजना की रबर सील लगाई जाएगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मनीऑर्डर फार्म में लिखा गया पता सही है। मनीऑर्डर रसीद के प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी के लघु हस्ताक्षरों सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के रजिस्टर एस.एस.पी. VIके समुचित स्तम्भ में प्रत्येक भुगतान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के आदेश की प्रविष्टि की जाएगी।

(iii) (क) कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी को मनीऑर्डर द्वारा भेजी गयी पेंशन के लेखे के यथोचित रख–रखाव के लिये उत्तरदायी होगें। वे समस्त प्रेषणों के लिए की प्राप्तकर्ताओं की अभिस्वीकृतियों को देखगें और प्राप्ति के परचात् उनको क्रम से व्यवस्थित करेंगे, उन पर निरस्त करने की सील लगवायेगें और रजिस्टर एस.एस.पी. VI में अभिलिखित करेंगे। यदि मनीऑर्डर की अभिस्वीकृति रसीद 30 दिन तक भी प्राप्त नहीं होती है या पेंशन के भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो वह डाक प्राधिकारियों और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसकी जांच करायेगा। कपटपूर्ण भुगतान के मामले की जांच की जाएगी और उसकी रिपोर्ट कलक्टर को की जाएगी। भुगतान नहीं हुए या डाक प्राधिकारियों द्वारा लौटाए गए मीनऑर्डरों की रजिस्टर एस.एस.पी. X में प्रविष्टि की जाएगी। अवितरित राशि आगामी मास के संबंधित लेखा शीर्ष में मानइस डेबिट और माइनस क्रेडिट के द्वारा प्रतिदाय कर दी जानी चाहिए। अवितरित रकम का

पश्चात्वर्ती भुगतान भली प्रकार जांच और सत्यापन के पश्चात किया जाना चाहिए और रजिस्टर एस.एस.पी. X में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए।

(ख) कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी, कोषागार में मासिक लेखे की संबंधित अनुसूची के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र यथास्थिति, संलग्न या अभिलिखित करेगा :–

"प्रमाणित किया जाता है कि सभी मामलों में गत मास के मनीआर्डरों की अभिस्वीकृतियां प्राप्त हो गई है और अवितरित लौटाए गए मनीआर्डरों की रकम संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस–डेबिट द्वारा कोषागार में वापिस प्रेषित कर दी गई है।"

(ग) मनीआर्डर के कमीशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के कारण व्यय सम्बन्धित पेंशन के लेखा शीर्षक पर भारित होगा।

(घ) कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी प्रतिमाह लौटकर आने वाले मनीऑर्डरों के लेखों का संधारण एस. एस.पी. VII "मनीऑर्डर वापसी रजिस्टर" में करेंगे।

3.पेंशन के भुगतान के लिए बिलों द्वारा धन का आहरण :–

(i) कोषागार/उपकोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेंशन का भुगतान चाहने वाले पेंशनरों को नकद में पेंशन के भुगतान हेतु अग्रिम आहरण के लिए उप–कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी संक्षिप्त बिल (एब्स्ट्रक्ट कॉन्टीजेन्ट बिल) के द्वारा रूपये आहरित करेगा।

पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण :–पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा पते में परिवर्तन की सूचना दी जाए तो उप–कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

(i) यदि नया पता उसी तहसील में हो तो उप–कोषाधिकारी रजिस्टर एस.एस.पी. Vके समुचित स्तम्भ में संशोधन करेगा और कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को उनके द्वारा आवश्यक सुधार के लिए नया पता सूचित करेगा। प्रत्येक ऐसे अवसर पर उप–कोषाधिकारी पेंशनर के अस्तित्व में बने रहने को सत्यापित करेगा और यह देखने के लिए कि क्या उसका लगातार पेंशन दिए जाने या नहीं दिए जाने की परिस्थितियां निर्धारित है, आवश्यक कदम उठाएगा।

(ii) यदि नया पता उसी जिले की किसी अन्य तहसील में हो तो उप–कोषाधिकारी जिले के कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करते हुए रजिस्टर एस.एस.पी. संख्या Vमें लाल स्याही से इस आशय की एक प्रविष्टि करेगा कि पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण सम्बन्धित उप–कोषाधिकारी को

किया गया। वह उप कोषाधिकारी, जिसे पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण किया गया है, अपने अधिकार क्षेत्र में पेंशनर के अस्तित्व में बने रहने और लगातार पेंशन दिए जाने की परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेंशन का भुगतान आरम्भ करेगा।

(iii) उप–कोषागार से जिला कोषागार में और जिला कोषागार से उप–कोषागार में पेंशन भुगतान आदेश के अन्तरण के मामले में पैरा (ii) में अधिकथित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(iv) यदि पेंशनर अपने निवास के जिले से भिन्न कोषागार या उप कोषागार में पेंशन का भुगतान चाहे तो उस दशा में संबंधित उप–कोषाधिकारी अपने जिले के कोषाधिकारी के पास पेंशन भुगतान आदेश को भेजेगा जो कि राज्य के अन्य जिले के कोषाधिकारी को, जिससे कि वह पेंशन प्राप्त करना चाहे, उसके पेंशन संबंधी दस्तावेज भेजने की व्यवस्था करेगा। कोषाधिकारी/ उप–कोषाधिकारी संबंधित रजिस्टरों में इस आशय का नोट लाल स्याही से लगाएगा। नया कोषाधिकारी नये पेंशन भुगतान आदेश की संख्या का आवंटन करेगा और इसके पश्चात् उप–कोषाधिकारी को, अपने क्षेत्र में पेंशनर का अस्तित्व में बने रहना और पेंशन स्वीकृति की परिस्थितियां बनी रहना अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेंशन के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए पेंशन भुगतान आदेश भेजेगा।

(v) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में स्थानान्तरण :–

सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभान्वितों के इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन हेतु निर्धारित पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर आगामी माह की 1 तारीख से सम्बन्धित लाभान्वित को इन राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के संगत वर्ग में स्थानान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा एवं लाभान्वित को केन्द्रीय अंश का भुगतान भी सम्बन्धित राष्ट्रीय पेंशन योजना के निर्धारित बजट मद से किया जायेगा। यह कार्य सम्बन्धित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा प्रतिमाह समीक्षा कर स्थानान्तरित होने योग्य लाभार्थियों को चिन्हित कर किया जायेगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित राष्ट्रीय पेंशन योजना में नई स्वीकृति जारी करवाकर पुरानी को रद्द करायेगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को भी दी जायेगी।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक . एफ 9(8)(12–1)/सान्याअवि/2008–09/5604 दिनांक 04-04-2013

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत अध्याय–1 नियम 3 (iii) के क्रम में आय प्रमाण –पत्र राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 9.8.2012 द्वारा निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार/नोटेरी द्वारा प्रमाणित मान्य होगा।

उक्त नियम के अध्याय–1 नियम 3 (vii) के नीचे निम्न प्रावधान जोडा जाता है :–

आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति के कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए संबंधित विकास अधिकारी पेंशन स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। पेंशन स्वीकृति संबंधित समस्त रिकॉर्ड संधारण विकास अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उक्त नियम के अध्याय–1 नियम 3(viii) के नीचे निम्न प्रावधान जोडा जाता है

आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति के कार्यवाही विवरण पर कमेटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए संबंधित उप खण्ड अधिकारी पेंशन स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। पेंशन स्वीकृति संबंधित समस्त रिकॉर्ड संधारण उप खण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उक्त नियम के अध्याय 3 के नियम 9 में (ii) के नीचे निम्नानुसार जोडा जाता है

(iii) पेंशनर की वार्षिक आय नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक होने पर समाप्त हो जावेगी।

उक्त नियम के अध्याय–3 के नियम 5 (i) का प्रथम अनुच्छेद – "ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक........ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा" को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :–

" ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक, जिस पंचायत समिति में निवास कर रहा है उस पंचायत समिति के विकास अधिकारी को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष, प्रारूप एस.एस.पी. –I में पेंशन के लिये पूर्ण रूप से भरा हुआ, सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित, आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। "

उक्त नियम के अध्याय–3 के नियम 5 (ix) की चतुर्थ लाईन " प्रारूप IV में पेंशन भुगतान का आदेश जारी कर को विलोपित किया जाता है।

उक्त नियम के अध्याय–3के नियम 12 को विलोपित कर इसके स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

वार्षिक सत्यापन– ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ग्राम सचिवालय व्यवस्था व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले केम्पों में सरपंच एवं पटवारी पचायतवार/ग्रामवार भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण के साथ आवेदक के बी.पी.एल सूची मे सूचीबद्ध रहने या वार्षिक आय निर्धारित सीमा में रहने तक का प्रमाण पत्र सूची के रूप में तैयार कर विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। पेंशनर उसके निवास क्षेत्र में पटवारी और सरपंच द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र में रहने वाला पेंशनर उसके निवास क्षेत्र की नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम में पदस्थापित अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र के साथ बी पी.एल. सूची में सूचीबद्ध रहने या वार्षिक आय निर्धारित सीमा में रहने तक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। परन्तु पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पेंशनर की मृत्यु या अन्य किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संदाय के हक से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। संदेह की स्थिति में पेंशन भुगतान अधिकारी पेंशनर को स्वय देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेंशन संदाय आदेश में बतलाये गये पहचान चिन्हों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा संधारित किये जाने वाले रजिस्टर एस.एस.पी. V में भौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जावेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक एफ 9(5)(12–1)/सान्याअवि/2008–09/5604. दिनांक 04-05-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजि न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर्स
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
12. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग।
13. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (पेंशन)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, जयपुर।

क्रमांक: एफ 09(05) (12-1) सान्याअवि/2013-14/3711- जयपुर दिनांक 15-05-2013

आदेश

राज्य सरकार की घोषणानुरूप दिनांक 20.04.2013 से 31.06.2013 तक आयोजित किये जाने वाले विशेष पेंशन महाअभियान के दौरान राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अध्याय-1 के नियम 3 के उपनियम vi, vii एवं viii एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के अध्याय-1 के नियम 2 के उपनियम vi, vii, एवं viii में वर्णित स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति को नियमों में प्रदत्त कार्य एवं कर्तव्यों को विशेष पेंशन महाअभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन प्रकरणों के निपटारे हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी को प्रत्यायोजित (delegate) व अधिकृत किया जाता है।

उक्त पेंशन नियमों के नियम 5 (i) आवेदन देने एवं पेंशन स्वीकार करने की प्रकिया के अनुसार- "ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक जिस पंचायत समिति में निवास कर रहा है उस पंचायत समिति के विकास अधिकारी को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारूप एस एस पी-1 में पेंशन के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सभी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित, आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा"। इस सम्बन्ध में पूर्व मे विभागीय समसख्यंक आदेश क्रमांक 5604/5605 दिनांक 04.40.13 से आपको अवगत करवा दिया गया है।

पेंशन आवेदन एवं स्वीकृति जारी करने के पश्चात समस्त आवश्यक रिकॉर्ड सम्बन्धित स्वीकृति अधिकारी अपने कार्यालय में संधारण करेंगे।

इस के अतिरिक्त नियमों में वर्णित ऐसे परिवार के सदस्य, जिनका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किये गये सर्वेक्षण में, गरीबी की रेखा की सीमा के नीचे के परिवार (केन्द्रीय एवं राज्य बी.पी.एल. परिवार) में किया गया हों, या अन्त्योदय परिवार या आस्था कार्डधारी परिवार आदि के पेंशन प्रकरणों में आय प्रमाण-पत्र लिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

विशेष योग्यजन पेंशन के मामलो में वार्षिक आय सीमा रूपये 60,000/- से कम एवं वृद्धावस्था, विधवा आदि मामलो मे वार्षिक आय सीमा रूपये 48,000/- से कम होगी।

अतः उक्त अधिकारी नियमों में वर्णित पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त करने एवं स्वीकृत करने हेतु पूर्ण प्रकिया की पालना सूनिश्चित करेगें जिससे जिले में अधिक से अधिक लोगों को पेंशन योजनाओ का लाभ दिलाया जा सके।

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ 09(05) (12–1) सान्याअवि/2013–14/3712-4082 जयपुर दिनांक 15-07-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पचायतीराज विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त/राजस्व/सामाजिक न्याय एव अधि. विभाग राज., जयपुर
6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
9. अतिरिक्त निदेशक(पेंशन), सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, राज.।
11. आदेश पत्रावली।

आयुक्त 15/7/13

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर मार्ग, जयपुर।

क्रमांक: एफ 09(05) (12-1) सान्याअवि/2013-14/2969 जयपुर दिनांक 15-04-2013

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित / प्रतिस्थापित किया जाता है :-

अध्याय-1 के नियम 3 का उपनियम

(iii) "आय" से अभिप्रेत है, कि विशेष योग्यजन पेंशन प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 60000/- से कम हो।

आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रियानुसार स्वंय द्वारा प्रस्तुत आय की उदघोषणा, जो कि तहसीलदार/नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणीकृत हो, प्रमाण-पत्र मान्य होगा।"

अध्याय: 2 के नियम 4 -पात्रता के उपनियम (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"(i) किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता), प्राकृतिक रूप से बौनेपन(व्यस्क व्यक्ति के मामले में उसकी ऊँचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र धारक हो) से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रहा हो, एवं -

i जिसकी स्वय की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतो से) रुपये 60,000/- तक हो, या
ii वह किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो जिसका चयन, ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किए गए सर्वेक्षण में, गरीबी की रेखा की सीमा से नीचे के परिवार(केन्द्रीय बी.पी.एल /राज्य बी.पी.एल) में या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या वह आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य है या वह सहरिया/कथौडी/खैरवा जाति का हो, पेंशन का पात्र होगा।

पात्रता के नियम 4(i) के उपनियम 1 व 2 में कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि प्रार्थी के स्वंय या पति या पत्नि या पुत्र के राज्य सरकार की राजकीय सेवा/राजकीय उपक्रम में सेवारत होने पर या राजकीय पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नही होगा।"

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ 09(05) (12-1) सान्याअवि/2013-14/2970-3339 जयपुर दिनांक 15.07.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त/राजस्व/सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग राज. जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
9. अतिरिक्त निदेशक(पेंशन), सान्याअवि. राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.।
11. आदेश पत्रावली।

15/7/13

आयुक्त

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर मार्ग, जयपुर।

क्रमांक: एफ 09(05) (12–1) सान्याअवि/2013–14/7351 जयपुर दिनांक 6-5-13.

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अध्यायः 1 के नियम 3 का ~~उपनियम (iii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है–~~

"(iii) "आय" से अभिप्रेत है, कि विशेष योग्यजन पेंशन प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 60000/– से कम हो, जब तक कि नियमों में अन्यथा स्पष्ट एवं विशिष्ठ प्रावधान नहीं हो।

आवेदक को आय का घोषणा पत्र एवं प्रमाणीकरण प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग– IV एवं भाग– V में निर्धारित प्रक्रियानुसार देना होगा।"

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नः– प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग IV एवं V

(डॉ मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

6/5/13

क्रमांक एफ 09(05) (12–1) सान्याअवि/2013–14/7352–7362 जयपुर दिनांक 6-5-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त/राजस्व/सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग राज. जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बियम)/(व्यय–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
10. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परियोजना एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.।
11. आदेश पत्रावली।

आयुक्त

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी–3/1 सजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांकः– एफ 09(05)(12–1)सान्याअवि/2013–14/7727 जयपुर, दिनांकः 12.05.2013

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है:–

अध्यायः 3 के नियम 8 :– "पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने की तारीख से संबंधित माह की प्रथम तारीख से पूरे माह के लिये संदेय होगी।"

अध्यायः 4 के नियम 16(iii) :– "पेंशन स्वीकृति के माह में ही देय होगी एवं स्वीकृति दिनांक के तत्काल पश्चात जारी की जायेगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासम्भव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।"

स्पष्टीकरण :– उदाहरण के रूप में उक्त पेंशन नियमों के अन्तर्गत यदि किसी पात्र आवेदक को पेंशन की स्वीकृति माह विशेष की 8 तारीख को स्वीकृत होने पर उसे संबंधित माह की 8 तारीख से ही पूरे माह के लिये संदेय होगी। जो कि उक्त माह की 8 तारीख के तत्काल पश्चात् जारी की जायेगी।

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव
12/5/13

क्रमांक एफ 09(05) (12-1) सान्याअवि / 2013-14 / 7707 जयपुर दिनांक [illegible] 13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त / राजस्व / सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग राज. जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त / समस्त जिला कलेक्टर / समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी।
9. अतिरिक्त निदेशक(पेंशन), सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.।

आयुक्त 12/9/13

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ 09(05) (13)/ वि यो पेंशन/सान्याअवि/2013-14/ 8344 जयपुर दिनांक 17-5-13

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अध्याय 2 के नियम 4(i) के नीचे 4(ii) एवं 4(iii) निम्नानुसार जोडा जाता है :-

(ii) किसी भी आयु का व्यक्ति, जो प्राकृतिक रूप से हिजडेपन से ग्रसित हो, एवं नियम 4(iii) में वर्णित अनुसार प्रमाण पत्र धारक हो, राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राजस्थान में रह रहा हो तथा जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) रूपये 60000/- तक हो, वह अध्याय 1, नियम 3 (iv) में वर्णित दर से पेंशन पाने का पात्र होगा।

आवेदक को आय का घोषणा पत्र एवं प्रमाणीकरण प्रारूप एस एस पी I का भाग- IV एवं भाग- V में निर्धारित प्रक्रियानुसार देना होगा।"

यदि आवेदक बीपीएल/अन्तोदय/आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य हो अथवा सहरिया/कथौडी/खैरवा जाति का हो, तो आवेदक को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवयकता नहीं होगी।

(iii) नियम 4(ii) में वर्णित हिजडे व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से हिजडेपन से ग्रसित होने का निम्न समिति से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा -

1.	उपखण्ड अधिकारी /उपखण्ड मजिस्टेट	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
3.	सम्बन्धित विकास अधिकारी / सम्बन्धित नगर निकाय अधिकारी	सदस्य

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव
14/5/13

क्रमांक एफ 09(05) (13)/वि.यो पेंशन/सान्याअवि/2013-14/ 8844 जयपुर दिनांक 17-5-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज., जयपुर।

4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।

5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त/राजस्व/सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग राज. जयपुर।

6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

8. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।

9. अतिरिक्त निदेशक(पेंशन), सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।

10. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.।

11. आदेश पत्रावली।

(ओझा)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट -1

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ 9(5)(11-I) पेंशन विविध/सा.न्या.अ.वि./07/ 8314-8119

जयपुर, दिनांक : 06.11.2007

जिला कलेक्टर (समस्त)

....

विषय:- बी.पी.एल. परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के ~~व्यक्तियों~~ को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अ.शा.पत्र संख्या जे.- 11013/1/07 एन.एस.ए.पी. दिनांक 23.9.07 के माध्यम से सूचित किया गया है कि बी.पी.एल. परिवार के 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के समस्त व्यक्तियों को पेंशन दिया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा यथा संभव पेंशन का भुगतान पोस्ट ऑफिस बचत खाते के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की जावे।

इस सम्बन्ध में लेख है कि राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के नियम 2 (1) के नीचे अंकित परन्तुक के अनुसार राज्य के बी.पी.एल. परिवार के (65) 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को पात्रता सम्बन्धी अन्य शर्तों में छूट प्रदान करते हुये पेंशन देने का प्रावधान पहले से ही है। इसी प्रकार "सहरिया जनजाति" के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को पात्रता सम्बन्धी अन्य शर्तों में छूट प्रदान करते हुये पेंशन स्वीकृत करने का प्रावधान भी है

अतः कृपया आपके जिले में नई बी.पी.एल. सूची 2002 में मूलरूप से सूचीबद्ध एवं अपील प्रक्रिया से जुडे सभी बी.पी.एल. परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करावें तथा यथा संभव पेंशन का भुगतान पोस्ट ऑफिस में पेंशनर के बचत खाते के माध्यम से किया जावे। इसके लिये पोस्ट ऑफिस को पेंशन राशि के मनीऑर्डर के देय कमीशन की सीमा तक तथा अधिकतम 5 प्रतिशत की दर से कमीशन राशि देय होगी।

कृपया इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को दिनांक 30.11.07 तक भिजवाना सुनिश्चित करें कि आपके जिले में बी.पी.एल. सूची के सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है, ताकि भारत सरकार को तदनुसार सूचित किया जा सके।

(हस्ताक्षर)
प्रमुख शासन सचिव
सामाजिक सुरक्षा

क्रमांक एफ 9(5)(11-I) पेंशन विविध/सा.न्या.अ.वि./07/ 8314-8119
जयपुर दिनांक 6/11/2007

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:
1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधान पोस्ट मास्टर, जनरल (CPMG) [illegible] जयपुर को [illegible] इस सम्बन्ध में राज्य के पोस्ट ऑफिस को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राज. जयपुर को [illegible] सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करावें।
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

No. J-11015/ 1 /2011-NSAP
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
June 20, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Modification of the eligibility criteria for Central assistance under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) issued vide O.M. No. J-11013/1/2007-NSAP dated 24th September 2007. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the age of applicant (male or female) shall be 65 years or higher and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

2. Government of India has decided to lower the age limit from 65 years to 60 years under the ongoing IGNOAPS and also to increase the rate of assistance from Rs.200 to Rs.500 for beneficiaries of 80 years and above. The revised norms will come into effect from 1.4.2011. Accordingly, the revised criteria for grant of pension under IGNOAPS would be as under:-

I. Eligibility Criteria

For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply:

i) The age of the applicant (male or female) shall be 60 years or higher.
ii) The applicant must belong to a household below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

II. Amount of pension

i) The Central Assistance under IGNOAPS will be provided at the rate of Rs.200 per month per beneficiary for beneficiaries in the age group of 60-79 years.
ii) The Central Assistance under IGNOAPS will be provided at the rate of Rs.500 per month per beneficiary for beneficiaries who are 80 years and above.

3. The other provisions regarding the 'Mode of Payment', 'Certificate of Coverage' and 'Allocation of Funds' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. dated 24th September 2007.

30/06/11
(Sanjay Kumar Rakesh)
Joint Secretary to the Government of India

Secretary
In-charge of NSAP
All States/ Union Territories

No. J-11015/1/2012-NSAP
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 8th November 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Central assistance under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) issued vide O.M. No. J-11015/1/2011-NSAP dated 30th June 2011. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of obtaining central assistance was that the age of applicant (male or female) shall be 60 years or higher and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

2. As a result of decision of the Government of India to increase in rate of pension from Rs. 200/- to Rs. 200/- and to revise the upper age limit from 59 years to 79 years in the ongoing Indira Gandhi Widow Pension Scheme (IGNWPS) and Indira Gandhi Disability Pension Scheme (IGNDPS), it has been decided to modify the eligibility criteria for old age pension under IGNOAPS with effect from 1.10.2012.

I **Eligibility Criteria**

For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply :

i) The age of the applicant (male or female), shall be 60 years or higher (excluding BPL widows and BPL persons with severe and multiple disabilities in the age group of 60-79 years).

II **Amount of Pension**

i) The Central Assistance under IGNOAPS will be provided at the rate of Rs. 200 per month per beneficiary for beneficiaries in the age group of 60-79 years (excluding BPL widows and BPL persons with severe and multiple disabilities in the age group of 60-79 years).

ii) The Central Assistance under IGNOAPS will be provided at the rate of Rs. 500 per month per beneficiary for beneficiaries who are 80 years and above.

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ 9(6)(5-1) एन.एस.ए.पी./सा.न्या.अ.वि./08-09/5047 जयपुर, दिनांक : 7-10-09

आदेश

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित पात्रता की विधवाओं को रू.400/- प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है जिसमें भारत एवं राज्य सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है.-

"भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की विधवा जिसकी आयु 40 से 64 वर्ष के बीच की है"

भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/02/2007/एन.एस.ए.पी./दिनांक 17.02.09 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशानुसार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को प्रयोग में लिया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लिया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त योजना को तुरन्त प्रभाव से राज्य में प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभान्वित विधवा को कुल देय पेंशन राशि रू. 400/- प्रतिमाह में से भारत सरकार के हिस्से की राशि रू. 200/- प्रतिमाह का भुगतान निम्नांकित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जायेगा :-

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
102 - सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
(01) - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से
[07] - इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
24 - पेंशन और उपदान (आयोजना)

राज्य सरकार के हिस्से की राशि रू 200/- प्रतिमाह का भुगतान निम्नांकित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जायेगा :-

2 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
102 - सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से
[05] विधवा पेंशन
24 पेंशन और उपदान (आयोजना भिन्न)

F:\...\Satyendra 2\Madan ji\Office Order

website http://sje.rajasthan.gov.in
E-mail ...@yahoo.com
Phone : (O) 0141-2220...

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि

1. राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पात्र विधवाओं को लाभान्वित करने की पेंशन योजना यथावत है।

2. ऐसी विधवाऐं जो वर्तमान में राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रही है जिनकी आयु 40 से 64 वर्ष के मध्य है तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के अन्तर्गत पात्रता की शर्ते पूर्ण करती है,उन्हें चिन्हित कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) में स्थानान्तरित कर उपर्युक्तानुसार पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

3. 40 वर्ष तक की आयु की विधवाऐं जो राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पात्रता रखती है,उन्हें राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पेंशन देय होगी।

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप 100903328 दिनांक 05.10.09 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते हैं।

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(5)(5–1) एन.एस.ए.पी./सा.न्या.अ.वि./08–09/5048–5161 जयपुर, दिनांक 7/10/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव (जे), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, राज्यमंत्री, सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त (समस्त)।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर्स .... को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1844–76 दिनांक 27.02.09 द्वारा आपको भारत सरकार के पत्रांक जे–11013/02/2007/एन.एस.ए.पी./दिनांक 17.02.09 की प्रति पूर्व में भिजवाई जा चुकी है। कृपया उपर्युक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाली विधवाओं को चिन्हित कर उक्त पेंशन योजना का लाभ अविलम्ब दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, (एस.सी.एस.पी.), सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी ....
12. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परि. एवं स.क.अधिकारी, सा.न्या.अ.विभाग ....

मुख्य लेखाधिकारी

No. J-11015/1/2011-NSAP
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated June 21, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Central assistance under the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) issued vide O.M. No. J-11012/1/2009-NSAP dated 30th September 2009. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the age of widow shall be in the age group of 40-64 years and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

2 As a result of decision of the Government of India to lower the age limit from 65 years to 60 years under the ongoing Indira Gandhi National Old Age Pension(IGNOAPS), it has been decided to modify the eligibility criteria for widow pension under IGNWPS as follows:

1 Eligibility Criteria

For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply:

i) The age of the widow shall be between 40-59 years.
ii) The applicant must belong to a household below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

3 The other provisions regarding the 'Amount of Pension', 'Certificate of Coverage', 'Allocation of Funds', 'Discontinuation of Pension' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. No. dated 30th September 2009.

(Sanjay Kumar Rakesh)
Joint Secretary to the Government of India

Secretary
In-charge of NSAP
All States/Union Territories

No. J-11015/ 1 /2012-NSAP
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated:8 November , 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Central assistance under the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) issued vide O.M. No. J-11015/1/2011-NSAP dated 30th June 2011. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the age of widow shall be in the age group of 40-59 years and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

2. Government of India has decided to revise the eligibility age from 40-59 years to 40-79 under the ongoing Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) and also to increase the rate of assistance from Rs. 200/- to Rs. 300/-. The revised norms will come into effect from 1.10.2012. Accordingly, the revised criteria for grant of pension under IGNWPS would be as under:-

I Eligibility Criteria

For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply .

I) The age of the widow shall be between 40-79 years.

II Amount of pension

The Central Assistance under IGNWPS will be provided at the rate of Rs. 300 per month per beneficiary.

3. The other provisions regarding 'Eligibility Criteria', 'Certificate of Coverage', 'Allocation of Funds', 'Discontinuation of Pension' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. dated 30th June 2011.

(VIJAY SRIVASTAVA)
Joint Secretary to the Government of India

Secretary
In-charge of NSAP

परिशिष्ट 6

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 9(5)(5)पार्ट–1/ एन.एस.ए.पी./सा.न्या.अ.वि./08–09/ 8893 जयपुर, दिनांक : 24/11/09

आदेश

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त न योजना (IGNDPS) दिनांक 17.2.09 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना अन्तर्गत निम्नांकित पात्रता के निशक्तजनों को रूपये 400/– प्रतिमाह की से पेंशन देय है, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की बराबर की सेदारी है:–

"भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप सूचीबद्ध ी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूतर निःशक्तता ासित हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य है"।

भारत सरकार के पत्रांक जे–11013/2/07–एनएसएपी दिनांक 17.2.09 इस संबंध में जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक जे–11012/1/08– नएपी दिनांक 20.9.09(प्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार इस ा के अन्तर्गत दिव्यांगजनों की ग्रामीण क्षेत्र में पहचान करने हेतु राज्य र द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई एल. सूची 02 चरणों में लिया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों हचान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लिया है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को तुरन्त प्रभाव से राज्य में प्रारम्भ करने र्णय लिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभान्वित निःशक्तजन को कुल व्यय पेंशन राशि रूपये 400/– प्रतिमाह में से भारत सरकार के हिस्से की राशि रूपये 200/– प्रतिमाह का भुगतान निम्नांकित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जायेगा:–

2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60– अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
102– सामाजिक सुरक्षा योजनाओ के अधीन पेंशन
(01)– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[03]– इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन
24– पेंशन और उपदान(आयोजना)

राज्य सरकार के हिस्से की राशि रूपये 200/– प्रतिमाह का भुगतान निम्नांकित बजट मद से उपलब्ध प्रावधान में किया जायेगा:–

2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60– अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
102– सामाजिक सुरक्षा योजनाओ के अधीन पेंशन
(01)– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[02]– अंगहीन एवं दृष्टिहीन निराश्रितो को पेंशन
24– पेंशन और उपदान(आयोजना भिन्न)

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि–

1. इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995" मे वर्णित निम्न 7 श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना जायेगा–

(i) अंधता
(ii) कम दृष्टि
(iii) कुष्ठ रोग मुक्त
(iv) श्रवण शक्ति का ह्रास
(v) चलन निःशक्तता
(vi) मानसिक मंदता
(vii) मानसिक रूग्णता

2. ऐसे निःशक्तजन जो राजस्थान अपाहिज,अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे है और जिनकी आयु 18 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य है तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS) के अन्तर्गत पात्रता की शर्ते पूर्ण करते है उन्हें चिन्हित कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS) में स्थानान्तरित कर उपरोक्तानुसार पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
3. राजस्थान अपाहिज,अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965 के अन्तर्गत पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे अंधता एवं चलन निःशक्तता संबंधी पात्र लाभार्थी पूर्वानुसार लाभ प्राप्त करते रहेंगे एवं वर्तमान शर्तों पर भविष्य में भी पात्र व्यक्तियों को पेंशन लाभ दिया जावेगा।

यह आदेश वित्त व्यय-2 विभाग के अ.शा. टीप 100904093 दिनांक 7.11.09 के द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते है।

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(5)(5)पार्ट-I / एन.एस.ए.पी. / सा.न्या.अ.वि. / 08-09 / 8824-9514 जयपुर, दिनांक :24-11-09

24/11/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव (जे), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, राज्यमंत्री, सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त (समस्त)।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।
9. समस्त जिला कलेक्टर्स .... को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1644-75 दिनांक 27.02.09 द्वारा आपको भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/02/2007/एन.एस.ए.पी./दिनांक 17.02.09 की प्रति पूर्व में भिजवाई जा चुकी है। अतः कृपया उपर्युक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले निःशक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उक्त पेंशन योजना का लाभ अविलम्ब दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इन आदेशों की प्रति अपने अधीनस्थ पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (समस्त उप खण्ड अधिकारी) को भिजवाना सुनिश्चित करें।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
12. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद .... को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले निःशक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उक्त पेंशन योजना का लाभ अविलम्ब दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इन आदेशों की प्रति अपने अधीनस्थ पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (समस्त विकास अधिकारी) को भिजवाना सुनिश्चित करें।
13. परियोजना निदेशक, (एस.सी.एस.पी.), सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
15. समस्त कोषाधिकारी....
16. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परि. एवं स.क.अधिकारी, सा.न्या.अ.विभाग ....

मुख्य लेखाधिकारी प्रथम

No. J-11012/1/2009-NSAP
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated : 30th September, 2009

OFFICE MEMORANDUM

:t Guidelines for central assistance under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) as part of the National Social Assistance Programme(NSAP).

Name of the Scheme
The scheme is known as **'Indira Gandhi National Disability Pension Scheme'** 'S). It comes into existence from February 2009.

Eligibility criteria of Beneficiary
(A) For purpose of claiming central assistance, the following criteria shall apply:

(i) The age of disabled shall be between 18-64 years.

(ii) The applicant must belong to a household below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India

(iii) The applicant should be suffering from severe or multiple disabilities as defined in' Persons with Disabilities Act, 1995 (PWD Act 1995) and the 'National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999(National Trust Act 1999) revised from time to time and any other guidelines issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment in this regard.

(B) For the purpose of defining severe or multiple disabilities the following may be considered:-

(i) As per clause (i) of section 2 of the PwD Act, 'Disability' means (i) blindness, (ii) low vision, (iii) leprosy cured, (iv) hearing impairment, (v) loco motor disability, (vi) mental retardation and (vii) mental illness.

(ii) As per clause (t) of section 2 of the PwD Act, 'persons with disability' means a person suffering from not less than forty percent of any disability as certified by medical authority.

rtificate of coverage

e States/ UTs are required to furnish a certificate that all eligible disabled have ared under IGNDPS.

m ber of eligible beneficiaries under IGNDPS

e number of eligible beneficiaries to be assisted under IGNDPS will be d as per the field report of all the beneficiaries who satisfy the eligibility

oc ation of funds

funds for operation of the scheme relating to IGNOAPS, IGNDPS, IGNWPS, amily Benefit Scheme as part of National Social Assistance Programme and will continue to be released in a combined manner.

(Nilam Sawhney)
Joint Secretary to the Government of India

oF NSAP)
Union Territories

No. J-11015/1/2011-NSAP
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated June, 30 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Central Assistance under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) issued vide O.M. No. J-11012/1/2009-NSAP dated 10 September 2009. The eligibility criteria [illegible] in the guidelines for the purpose of claiming [illegible] assistance was that the beneficiary [illegible] in the age group of 18-64 years and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

As a result of decision of the Government of India to lower the age limit from 65 years [illegible] under the ongoing Indira Gandhi National Old Age Pension (IGNOAPS), it has been decided to modify the eligibility criteria for disability pension under IGNDPS as follows:

i. Eligibility criteria

[illegible] purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply

i. The age of the disabled shall be between 18-59 years
ii. The applicant must belong to a household below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India

[illegible] The other provisions regarding the 'Eligibility Criteria', 'Amount of Pension', [illegible] of Coverage', 'Allocation of Funds' etc. will remain the same as mentioned in the [illegible] dated 10th September 2009.

(Sanjay Kumar Rakesh)
Joint Secretary to the Government of India

[illegible]

No. J-11015/1/2012-NSAP
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated : November 8, 201

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Central assistance under Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) issued vide O.M. No. J-11015/1/2012-NSAP dated 30th June 2011. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the beneficiary shall be in the age group of 18-59 years and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

2. Government of India has decided to revise the eligibility age from 18-59 years to 40-79 under the ongoing Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) and also to increase the rate of assistance from Rs. 200/- to Rs. 300/-. The revised norms will come into effect from 1.10.2012. Accordingly, the revised criteria for grant of pension under IGNDPS would be as under:-

I **Eligibility Criteria**

(A) For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply :

i) The age of the disabled shall be between 18-79 years.

II **Amount of pension**

The Central Assistance under IGNDPS will be provided at the rate of Rs. 300 per month per beneficiary.

3. The other provisions regarding the 'Eligibility Criteria', 'Certificate of Coverage' 'Allocation of Funds' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. dated 30th June 2011

(VIJAYA SRIVASTAVA)
Joint Secretary to the Government of India

Secretary
In-charge of NSAP
All States/ Union Territories